

कल्याण अनुभाग

कर्मचारी सूचना

विषय: अमासं के, ग्रेड पे रु. 2400 तक' के कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों को व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति, सत्र 2020-21 ।

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के ग्रेड पे रु. 2400 तक' के कर्मचारियों से उनके पुत्रों/पुत्रियों की प्राविधिक, /व्यावसायिक शिक्षा, सत्र 2020-21 हेतु छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

- उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा का अभिप्राय चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण विज्ञान, व्यावसायिक /तकनीकी शिक्षा में केवल नियमित रूप से पढ़ाये जाने वाले पूर्णकालिक तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम हैं।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रथम वर्ष से ही छात्रवृत्तियों धन की उपलब्धता के अनुसार दी जाती हैं। इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा।
- एसबीएफ द्वारा छात्रवृत्तियों उपलब्ध निधि से निम्न प्राथमिकता के अनुसार दी जाएंगी :-
  - चिकित्सा(पशुपालन सहित), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम।
  - मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम।
  - वांछित योग्यता में प्राप्तकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जाएगी, तथा अंक बराबर होने पर जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठ छात्र/छात्रा के नाम पर पहले विचार किया जाएगा।
- कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा पुत्रों/पुत्रियों हेतु अधिकतम रु. 1500/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। परंतु आवेदनों की संख्या अधिक होने पर, फंड की उपलब्धता के अनुसार इसे घटाया भी जा सकता है।
- जिन कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों ने 2020-21 में उक्त किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो वे निर्धारित आवेदनपत्र प्राप्त कर 27.11.2020 तक सांय 17.00 बजे तक भरकर कक्ष सं. 28अ, कल्याण अनुभाग, अनुसंधान भवन में अवश्य जमा कर दें। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि:-
  - छात्र/छात्रा, संस्थागत/नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत न हो।
  - संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है, और पाठ्यक्रम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
  - आवेदन पत्र के साथ पे-स्लिप, अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न न की गई हों।
  - आवेदन पत्र किसी भी रूप में अधूरा हो।
  - कर्मचारी द्वारा आश्रित पुत्र/पुत्री के उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश संबंधी दस्तावेज/पहचान पत्र इत्यादि नहीं दिया जाता है।

समस्त अधिकारियों, अनुभाग प्रमारियों, सुपरवाइजरों से अनुरोध है कि इस विषयवस्तु से ग्रेड पे रु. 2400/- तक के समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों, को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। आपके निदेशालय की, मुख्यालय से बाहर स्थित इकाइयों को भी सूचित कराने की व्यवस्था करने का अनुग्रह करें।

सं. डब्ल्यूएस/एसबीएफ/तक.शि. छात्रवृत्ति/चिल्ड्रन/ग्रेड पे रु. 2400 तक।


दिनांक: 01.10.2020

  
(भुवनेश्वर वर्मा)

सचिव/एसबीएफ एवं  
सहा. कार्मिक अधिकारी/कल्याण

वितरण

- समस्त वरि.कार्य./निदे/कार्य.निदे./ निदेशक
- समस्त अधिकारी/अनुभाग प्रभारी
- सूचना पट्ट
- सीटीएसए एवं जेएसएसए 5.अनु.जाति/जनजाति एसा , अन्य पिछड़ा वर्ग।



**अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ**  
(कल्याण अनुभाग)

ग्रेड पे रु. 2400/- तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों की तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र।

1. कर्मचारी का नाम..... एयू/बीयू..... पीएफ.....
2. मूल वेतन..... ग्रेड पे..... वेतनमान.....
3. पदनाम..... अनुभाग/निदेशालय..... मुख्यालय..... फोन नं.....
4. जन्मतिथि..... अ.अ.मा.सं. में नियुक्ति तिथि..... रिटायरमेंट की तिथि.....
5. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, विवरण दें.....
6. नाम(आश्रित पुत्र/पुत्री)..... जन्मतिथि.....
7. पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का नाम..... पाठ्यक्रम की कुल अवधि.....  
अध्ययन वर्ष.....(प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ).
8. संस्था का नाम व पूरा पता.....
9. क्या संस्था सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त तथा किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है?, विवरण दें.....
10. क्या पाठ्यक्रम सरकार से मान्यताप्राप्त है?, विवरण दें.....
11. बैंक विवरण: खाता सं.....आईएफएससी कोड सं.....  
माइकर (MICR)कोड .....
12. छात्र/छात्रा का शैक्षिक रिकॉर्ड:

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	महीना एवं वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	डिवीजन
मैट्रिक/हाई स्कूल					
हाइर सेकेन्डरी/इण्टर					
डिप्लोमा/डिग्री					
अन्य उच्चतर परीक्षाएं					

नोट: यदि छात्र/छात्रा ने बिना मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल परीक्षा पास किये हुए ही तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो वह समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अंक तालिका संलग्न करें।

13. क्या पहले से किसी दूसरे बच्चे हेतु एसबीएफ से छात्रवृत्ति दी गई है? उल्लेख करें.....

**संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:-**

1. पेस्लिप
2. हाई स्कूल/इण्टर/स्नातक आदि के प्रमाणपत्र तथा अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियां।
3. जहां पर छात्र अध्ययनरत है, उस संस्थान द्वारा जारी प्रमाण/दस्तावेज
4. फीस की रसीद

**अ.अ.मा.सं. कर्मचारी द्वारा घोषणा**

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री, जिसकी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है, को इस पाठ्यक्रम के लिए किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/निःशुल्कता/सहायता नहीं मिल रही है तथा ऊपर दिया गया विवरण सही है। वचन देता हूँ कि इस छात्रवृत्ति के अलावा किसी अन्य छात्रवृत्ति/निःशुल्कता/सहायता स्वीकृत होने पर मैं यह अविलम्ब सचिव/एसबीएफ के संज्ञान में लाऊंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री अविवाहित है, यदि विवाह हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल समिति को दूंगा। यदि छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई तो तत्काल वापस कर दूंगा।

कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक  
मो. नं.....

उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य कल्याण निरीक्षक/कल्याण अनुभाग